न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 80/2017

1. लूणा राम पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी 18 एल एन पी लाधुवाला, वर्तमान निवासी 3 जे 4 जवाहर नगर श्री गंगानगर

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. लेखराम पुत्र त्रिलोकाराम जाति जाट निवासी 18 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. लीला देवी पत्नी कृष्णराम पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी 18 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. रोहित कुमार पुत्र कृष्णराम पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी 18 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. काजल पुत्री कृष्णराम पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी 18 एल एन पी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर (राजस्थान)

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री राजेश ग्रेवाल अधिवक्ता – – प्रर्थी
2. श्री विजय रेवाड अधिवक्ता – – अप्रार्थी सं. 1 ता अप्रार्थी संख्या 5
3. पैरोकारा राज

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 31.10.2017

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी का पिता तथा अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 प्रार्थी के भाई मृतक कृष्ण राम पुत्र लेखराम के वारिसान हैं, इस प्रकार प्रार्थी उसके पिता लेखराम तथा प्रार्थी के भाई स्व0 कृष्णराम का संयुक्त हिन्दू परिवार रहा है, जिसका कर्ता व मुखिया अप्रार्थी संख्या 1 रहा, परिवार बढ़ जाने से अलग अलग रहने लग गये।

प्रार्थी के परदादा स्व0 सावतराम पुत्र सेऊ जाति जाट गोदारा निवासी लाधुवाला के नाम से खाता संख्या 6/22 के विभिन्न मुरब्बाजात में खातेदारी कृषि दर्ज कागजात राज थी। जिसका वह मालिक होने के कारण खुद काश्त करता था।

प्रार्थी के परदादा का देहान्त होने पर उसकी उपरोक्त अराजी प्रार्थी के दादा को विरासतन प्राप्त हुई तथा प्रार्थी के दादा त्रिलोकाराम के देहान्त के बाद उसके वारिसान अप्रार्थी संख्या 1 तथा उसके भाईयों नंदराम, धन्नाराम, पृथ्वीराज, काशीराम, देवीलाल को

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

प्राप्त हुई। इस प्रकार प्रार्थी के पिता को अपने पूर्वजों प्रार्थी के परदादा, दादा से प्राप्त हुई भूमि तथा इस भूमि को प्रार्थी व उसका भाई कृष्णराम तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा संयुक्त हिन्दू खानदान होने से काश्त से बनायी गई भूमि अप्रार्थी संख्या 1 जो कि सुयंक्त हिन्दू खानदान का कर्ता व मुखिया रहा के नाम से निम्नलिखित भूमि खातेदारी दर्ज है जो कि सुयंक्त हिन्दू खानदान की जद्दी व अविभाजित संपत्ति के रूप में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम संयुक्त परिवार के कर्ता व मुखिया के रूप में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का जन्म से हक हिस्सा बनता है।

चक 18 एल एन पी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 57/55, मुरब्बा नंबर 10, किला नम्बर 25, मुरब्बा नम्बर 11, किला नम्बर 12, 16 ता 25 व मुरब्बा नंबर 16, किला नम्बर 1 ता 14, 17/2 व 18 ता 23 कुल 6.970 हैक्टर नहरी

इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज उपरोक्त कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू खानदान की जद्दी व अविभाजित कृषि भूमि होने से प्रार्थी का इसमें 1/3 हिस्सा बनता है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 के केवल दो ही पुत्र प्रार्थी व स्व0 कृष्णराम ही हुए। अतः प्रार्थी 1/3 हिस्सा का हकदार है।

अप्रार्थी संख्या 1 गलत लोगों के प्रभाव में है तथा गलत आदतों का शिकार हो रहा है तथा जिन गलत लोगों के प्रभाव में है वह अप्रार्थी संख्या 1 से उपरोक्त समस्त भूमि को मुंतकिल करवा कर सस्ते में प्राप्त करना व हडपना चाहते हैं तथा अप्रार्थी संख्या 1 राजस्व रिकॉर्ड में भूमि उसके नाम खातेदारी दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाकर समस्त भूमि को मुंतकिल करने की कोशिश में है उसने लोगों से बातचीत करना प्रारंभ कर दिया है तथा आजकल में ही बैयनामा करवाने की फिराक में हैं, यदि वह इसमें सफल हो गया तो प्रार्थी अपने हक हिस्सा से वंचित होगा, कब्जा मुश्तरका होने के कारण प्रार्थी को जबरन बेदखल किया जावेगा जिससे मौके पर कभी कोई अप्रिय घटना होकर जानमाल का नुकसान हो सकता है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ता फैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर की जावे कि अप्रार्थी संख्या 1 चक 18 एल एन पी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 57/55, मुरब्बा नम्बर 10, किला नम्बर 25, मुरब्बा नम्बर 11, किला नम्बर 12, 16 ता 25 व मुरब्बा नम्बर 16, किला नम्बर 1 ता 14, 17/2 व 18 ता 23 कुल 6.970 हैक्टर नहरी को बिना विभाजन करवाये किसी भूमि को रहन बैय मुंतकिल करने तथा प्रार्थी को स्वयं अथवा अन्य किसी की सहायता से जबरन बेदखल करने से बाज व ममुन रहे।

राजस्थान सरकार भूमि की मालिक है तथा आवश्यक पक्षकार है इसलिए उसे अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। दिनांक 13.10.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नलिखित हैं –

प्रार्थी व अप्रार्थी का संयुक्त हिन्दू परिवार रहा है, अर्द्धसत्य दर्ज किया गया है जो स्वीकार नहीं है बल्कि वर्ष 1993 से पहले प्रार्थी के दादा तिलोकाराम के सभी पुत्र व पोत्र संयुक्त हिन्दू परिवार के रूप में रहते थे और संयुक्त हिन्दू परिवार के रहते जितनी भी कृषि भूमि खरीदी या तिलोकाराम की थी या पुत्रो, पोत्रों के नाम से कृषि भूमि थी वह संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त हिन्दू संपत्ति थी। वर्ष 1993 में संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त हिन्दू सम्पत्ति कृषि भूमि (जद्दी जायदाद) का बंटवारा कर लिया गया। संयुक्त हिन्दू परिवार विभाजित हो गया और तिलोकाराम के पुत्र व पोत्र सभी ने अपना हक लेकर अलग अलग

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

रहने लगे। वर्ष 1993 के बंटवारे में अप्रार्थी संख्या ... संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति (जद्दी जायदाद) में बहिस्सा बराबर कृषि भूमि मिली थी।

वर्ष 1993 से पहले प्रार्थी के दादा तिलोकाराम के सभी पुत्र व पोत्र सयुक्त हिन्दू परिवार के रूप में रहते थे और संयुक्त हिन्दू परिवार के रहते जितनी भी कृषि भूमि खरीदी या तिलोकाराम की थी या पुत्रों, पोत्रों के नाम से कृषि भूमि थी वह संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त हिन्दू संपत्ति थी। वर्ष 1993 में संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त हिन्दू परिवार विभाजित हो गया और तिलोकाराम के पुत्र व पोत्र सभी ने अपना अपना हक लेकर अलग अलग रहने लगे। वर्ष 1993 के बंटवारे में प्रतिवादी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 1 के दोनों पुत्रों को संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति (जद्दी जायदाद) में बहिस्सा बराबर कृषि भूमि मिली थी। जिसमे कृष्ण लाल को मुरब्बा नम्बर 64 की 19 बीघा 12 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 65 की 1 बीघा 3 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 66 की 2 बीघा 17 बिस्वा कृषि भूमि मय खाल कुल 23 बीघा 16 बिस्वा व लूणाराम पुत्र लेखराम को मुरब्बा नम्बर 66 में कुल 22 बीघा 3 बिस्वा मय खाल नहरी कृषि भूमि तथा लेखराम पुत्र तिलोकाराम अप्रार्थी संख्या 1 को मुरब्बा नम्बर 10, 11, 16 में कुल 22 बीघा व 3 बिस्वा कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त हिन्दू संपत्ति यानी जद्दी जायदाद में से मिली थी। इस प्रकार वर्ष 1993 में जब जद्दी जायदाद का बंटवारा कर लिया और उसका इंतकाल भी दर्ज हो गया तो अब लेखराम के हिस्से की कृषि भूमि में प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अब प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 के जिन्दा रहते हुए किसी प्रकार के हक व अधिकार की मांग नहीं कर सकता। क्योंकि प्रार्थी ने जद्दी जायदाद में से अपना हक व अधिकार वर्ष 1993 के बंटवारे में प्राप्त कर लिया। अब वह नहीं मांग सकता। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 की वाके चक 18 एल एन पी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 57/55 मुरब्बा नम्बर 10, 11, 16 की कुल 6.970 हैक्टर कृषि भूमि में वादी का कोई हक व अधिकार नहीं बनता। इसलिए बंटवारे का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जद्दी जायदाद का वर्ष 1993 में बंटवारा हो चुका है। उसका इंतकाल भी हो चुका है। अब प्रार्थी का अप्रार्थी संख्या 1 को बंटवारे में मिली कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थी का अप्रार्थी संख्या 1 के बंटवारे में मिली कृषि भूमि में कोई हक व अधिकार ही नहीं है तो प्रार्थी का कब्जे का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वाके चक 18 एल एन पी के खता संख्या 57/55 की 6.970 हैक्टर कृषि भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा है और शान्तिपूर्वक काश्त कर रहा है। इसलिए प्रार्थी किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। जब प्रार्थी का अप्रार्थी संख्या 1 को बंटवारे में मिली कृषि भूमि में कोई हक व अधिकार ही नहीं है तो विभाजन का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इसलिए प्रार्थी किसी प्रकार की अस्थयी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से पेश करके निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना अन्तर्गत धारा 212 आर टी एक्ट सव्यय खारिज फरमाया जावे।

—:: आदेश ::—

बहस उभयपक्ष सुनी गई तथा प्रतिवादी की तरफ से भिराम बनाम हरलाल वगैरह निर्णय दिनांक 26 अप्रेल 2002 अदालत सदस्य मण्डल आर.आर.डी. जून, 2002 पृष्ठ संख्या 352 की नजीर पेश की गई। जिसका सहसम्मान अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में वादी विचारित भूमि में से अपना हिस्सा ले चुका था तथा शेष बची हुई भूमि में उसका कोई हिस्सा नहीं बचता था परन्तु यह नजीर इस प्रकरण में चस्पा नहीं होती। वादी के अनुसार उसका पूरा हिस्सा अभी तक उसे नहीं मिला है और यदि उसके पिता लेखराम ने उक्त भूमि को रहन अथवा बैय कर दिया तो उसे अपूर्णीय नुकसान होगा। अतः मैं यह पाता हूं कि उक्त प्रकरण में पृथम दृष्टया मामला प्रार्थी से सम्बन्धित है तथा सुविधा का संन्तुलन प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

के पक्ष में है तथा यदि भूमि को रहन बय कर दिया तो वादी को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 चक 18 एल एन पी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 57/55, मुरब्बा नम्बर 10, किला नम्बर 25, मुरब्बा नम्बर 11, किला नम्बर 12, 16 ता 25 व मुरब्बा नम्बर 16, किला नम्बर 1 ता 14, 17/2 व 18 ता 23 कुल 6.970 हैक्टर नहरी भूमि को मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थी रहन बैय, हस्तान्तरण न करे तथा रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखे। पत्रावली नम्बर से कम कर फेसला शुमार की जाकर मूल वाद के साथ सलंग्न की जावे।

निर्णय आज दिंनाक 31.10.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर